

भारत सरकार  
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय  
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन- 682009  
Fax: 0484-2668468  
Website : [www.cochincustoms.gov.in](http://www.cochincustoms.gov.in)  
e-mail : [cochincustoms@nic.in](mailto:cochincustoms@nic.in)  
Sevottam compliant



GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS  
CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009  
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864  
Telephone 0484-2666774 / 2666776  
Control Room 0484-2666422  
An IS 15700 certified Custom House

**परिपत्र CIRCULAR. No. 08 / 2016**

**विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति - दिनांक 29.04.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित।**

**Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 29.04.2016 – Reg.**

\*\*\*\*\*

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की 123वीं बैठक दिनांक 29.04.2016 को 1600 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन.राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 123<sup>rd</sup> meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 1600 hrs on 29.04.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr. K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती  
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. S. Anil Kumar, Addl. Commissioner
2. S. Srimathi, Dy. Commissioner
3. V.Umadevi Dy.Commissioner
4. Mohammed Rafeek, Asst. Commissioner
5. Jimmy Joseph, Asst. Commissioner
6. Debashish Paul, Asst. Commissioner
7. Prameela Rose, Asst. Commissioner
8. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
9. Prasanth K C S., Superintendent of Customs
10. C.T.Suja., Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. Raj Vinod, Cochin Port Trust
2. K. Suresh Babu, CFS, CPT
3. V.Veera Raghav, CFS, GDKL
4. P.V.Jayaraj, CI-CFS, KSIE
5. M. B. Nandakumar, Cochin Custom House Agents Association
6. Prakash Iyer, Cochin Steamer Agents Association
7. Clinton Chowellor, Cochin Steamer Agents Association
8. D.Iyyanar, Plant Quarantine Station
9. Milu Mathew, Plant Quarantine Station
10. Dr. Jesto George, FSSAI, Cochin
11. Midhun Murali, FSSAI, Cochin
12. Sree Rajmohan, Cashew Exports Promotion Council
13. A.K.Vijaykumar, Federation of Indian Export Organisations

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और सभी सदस्यों को हाल ही में कार्यान्वित की गई 'सिंगल विंडो प्रणाली' से अवगत कराया। उन्होंने सभी सदस्यों को सूचित किया कि यह परियोजना 1 अप्रैल से कार्यान्वित की गई है; और यह कि संयंत्र संगरोध एजेंसी से-और-को आंकड़े भेजना काफी हद तक संयत हो गया है; और यह कि एफएसएसआई द्वारा संदेश भेजे और पुनः भेजे जाने पर भी एफएसएसआई का जवाब स्क्रीन पर नहीं देखा जाता है; और यह कि इससे कारगो की निकासी में रुकावट नहीं हुई क्योंकि एफएसएससी द्वारा अनापति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के तुरंत बाद आगम पत्र स्वतः 'आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज' पंक्ति में चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस विसंगति को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। पशु संगरोध क्लियरेंस की आवश्यकता वाले प्रेषित माल के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यद्यपि सचिव, कृषि मंत्रालय द्वारा कोचिन और वैज्ञानिक से आयातित प्रेषित माल को पशु संगरोध विभाग के अनापति प्रमाणपत्र के स्थान पर सीआईएफटी के प्रमाणपत्र के आधार पर निकासी की अनुमति देने हेतु

परिपत्र जारी कर दिया है, फिर भी आगम पत्र पुनः पशु संगरोध विभाग की पंक्ति में फंसे रहते थे जिससे वे पंक्ति में अटके रहते हैं और आगे निकासी प्रक्रिया चलानी असंभव हो जाती है; और यह कि फिलहाल ऐसे मामलों में सीमाशुल्क हाथ से निकासी जारी करता था; और यह कि इस मामले को चिह्नित कर महानिदेशक (सिस्टम) के साथ उठाया गया है; और यह कि इस गलति को सुधारने के लिए जल्द से जल्द उपाय किए जाएंगे। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने समुद्री निर्यातकों/आयातकों के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया भी मांगी। पहले पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया गया।

The Commissioner welcomed all members and appraised the members of the status of the recently implemented “Single Window System”. He informed all members that the project had been implemented from 1<sup>st</sup> of April; that data transmission to-and-from Plant Quarantine Agency was fairly stabilised; that though messages were being transmitted and re-transmitted from FSSAI, the response messages from FSSAI was not visible on-screen; that however it did not cause hindrance in clearance of import cargo as the bills of entry automatically moved to the ‘Out of Customs Charge’ queue as soon as NOC was granted by FSSAI. The Chair informed that this anomaly would be rectified at the earliest. Regarding consignments that required Animal Quarantine clearance, it was informed by the Chair that though the Secretary, Ministry of Agriculture, had issued Circular permitting clearance of consignments imported through Cochin & Vizag ports on the basis of certificate from the CIFT instead of NOC from the Animal Quarantine Department, the bills of entries were again looping into the queue of the Animal Quarantine department thereby getting stuck in the queue and being unable to be processed further for clearance; that currently in such cases the customs department was issuing manual clearance; that the matter was flagged and brought to the notice of DG (System); that measures would be taken to rectify the error at the earliest. In this regard, the Chair also sought feedback from the representatives of marine exporters/importers. The minutes of the previous meeting was first taken up for discussion..

#### **पिछली बैठक के मुद्दों पर की गई कार्रवाई**

Actionable Points from the previous meeting.

#### बिंदु 1. ऑनलाइन बैगेज निकासी

#### POINT NO. 1 ON-LINE BAGGAGE CLEARANCE

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि कुछ रुकावटें अभी भी थीं; और यह कि हाल ही में शुरू की गई सिंगल विंडो प्रणाली में व्यस्त रहने के कारण सिस्टम निदेशालय ऑनलाइन बैगेज निकासी की लागू करने में हो रही प्रारंभिक दिक्कतों को दूर नहीं कर पाया; और यह कि मामला महानिदेशक (सिस्टम्स) के ध्यान में लाया जा चुका है और इसे जल्द ही सुलझा दिया जाएगा।

[कार्रवाई: सिस्टम प्रबंधक, ई.डी.आई.]

The chair informed that a few hitches still existed; that as the Directorate of systems was engaged in the recently introduced Single Window System, the teething trouble in introduction of online Baggage clearance could not be sorted out last week; that however the matter was brought to the notice of the DG (Systems) and the matter would be resolved at the earliest.

[Action: System Manager, EDI]

#### बिंदु सं. 2 : टर्मिनल पर निःशुल्क अवधि (कोचिन सीमाशुल्क एजेंट एसोसिएशन द्वारा उठाया गया बिंदु)

#### POINT NO.2: FREE PERIOD AT THE TERMINAL (POINT RAISED BY THE COCHIN CUSTOM HOUSE AGENTS' ASSOCIATION)

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यदि विशेष मामले, यदि कोई हों, तो उनके ध्यान में लाए जाने पर मामले पर विचार किया जाएगा; और यह कि सदस्यों की सामान्य टिप्पणी के आधार पर कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है।

[कार्रवाई : सी.एच.ए. एसोसिएशन]

The Chair informed the members that the matter would be looked into if specific instances, if any, was brought to his notice; that action could not be initiated on a broad observation by the members.

[Action: CHA Assn]]

बिंदु सं. 3 – सुपारी – अफ्लाटोक्सिन की मौजूदगी

POINT NO. 3: BETEL NUT- PRESENCE OF AFLATOXIN

डॉ. गेस्टो जॉर्ज ने सूचित किया कि वे सिर्फ सुपारी के आयात माल में मौजूद उच्च टॉक्सिन स्तर के बारे में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को अवगत कराना चाहते थे; और यह कि उनकी सूचना को सीमशुल्क द्वारा अनिवार्य कार्रवाई करने की सिफारिश के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया। पिदली बैठक के कार्यवृत्त से उक्त टिप्पणी हटाने संबंधी डॉ. गेस्टो का अनुरोध अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया।

Dr.Gesto George informed that he had merely brought to the notice of the Chair and the other members about the high level of toxins present in the import consignment of betel nut; that his information was misconstrued as recommendation for taking mandatory action by Customs. Dr.Gesto George's request for removing said observation from the previous minutes was accepted by the Chair..

बिंदु सं. 4 – स्टीमर एजेंटों को सूचित किए बिना एजेंटों द्वारा कारगो की निकासी

POINT NO. 4 - CLEARANCE CARGO BY AGENTS WITHOUT INFORMING STEAMER AGENTS

श्री नंदकुमार ने यह सूचित किया कि अदालत ने उनके द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं और इसकी प्रति अध्यक्ष महोदय को भेज दी जाएगी।

[कार्रवाई : श्री नंदकुमार]

It was informed by Sri.Nandakumar that the Court had issued a stay order in the writ petition filed by them and that a copy would be submitted to the Chair.

[Action: Sri.Nandakumar]

बिंदु सं. 5 – एफएसएसएआई के पास उपलब्ध आगमन पूर्व दस्तावेज समीक्षा प्रणाली की सुविधा

POINT NO. 5 - FACILITY OF PRIOR ARRIVAL DOCUMENT REVIEW SYSTEM AVAILABLE WITH FSSAI

अध्यक्ष महोदय ने एफएसएसएआई और सी.एच.ए. एसोसिएशन द्वारा सीमाशुल्क ब्रोकरों को उक्त सुविधा के बारे में अवगत कराने हेतु एक संयुक्त सत्र चालने संबंधी अपना अनुरोध दोहराया।

[कार्रवाई : सी.एच.ए. एसोसिएशन]

The Chair repeated the request to FSSAI & CHA Assn. to hold a joint session to educate the Customs Brokers about the said facility.

[Action: CHA Association]

बिंदु सं. 6 – जहाज के मास्टर को दी गई भारतीय मुद्रा के मूल्यवर्ग पर प्रतिबंध को हटाया जाना।

POINT NO. 6 – WITHDRAWL OF RESTRICTION ON DENOMINATION OF INDIAN CURRENCY GIVEN TO MASTER OF VESSEL

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस संबंध में सार्वजनिक सूचना (पी.एन. 05/2016 ) जारी की गई है।

The chair informed that a public notice [PN 05/2016] had been issued in this regard.

श्री क्लिंटन चोव्वल्लूर ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि ऐसी कोई भी सार्वजनिक सूचना सीमाशुल्क वेबसाइट की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।

It was brought to the notice of the Chair by Clinton Chowellor that there was no such PN available in the website of the Custom House.

अध्यक्ष महोदय ने विश्वास दिलाया कि उक्त सार्वजनिक सूचना जारी की गई है और अगर पहले से अपलोड नहीं की गई है तो इसे सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

The Chair assured that the PN had been issued and would be uploaded on website of Custom House, if not already done.

[कार्रवाई : अधीक्षक ई.डी.आई.]

[Action: Supdt EDI]

सदस्यों द्वारा उठाए गए नए मुद्दे

### FRESH POINTS RAISED BY THE MEMBERS

बिंदु सं. 1 : तस्करी रोधी एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए कंटेनरों को रिलीज करना

#### POINT NO. 1: RELEASE OF SEIZED CONTAINERS BY ANTI-SMUGGLING AGENCIES

सी.सी.एच.ए.ए. : रोके गए माल को सीएफएस में स्टैक करने/भंडारण करने का प्रावधान करना चाहिए, ताकि कंटेनरों को रिलीज किया जा सकते और अनावश्यक रूप से रोकने और विलंब शुल्क देने से बचा जा सके।

CCHAA: Provision may be provided to stack/store detained goods in CFS, so that the containers are released and unnecessary detention and demurrage charges avoided.

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि एसआईआईबी द्वारा कोई भी कंटेनर रोक कर नहीं रखा गया है; और यह कि जब सीमाशुल्क की तस्करी रोधी इकाई जब्त की कार्रवाई करती है तो कारगो को डीस्टफ किया जाता है और इसे किसी भंडारगृह या सीएफएस में सील करके स्टैक किया जाता है; और यह कि जब डीआरआई द्वारा रक्तचंदन जैसे माल को जब्त किया जाता है, तो निर्यातक प्रायः फरार हो जाते हैं और इसलिए कभी-कभार कंटेनरों को रिलीज करने में देरी हो जाती है; और यह कि विलंब, यदि कोई हो, तो विभाग के ध्यान में लाया जा सकता है।

The Chair informed the members that no containers were withheld by SIIB; that when anti-smuggling unit of the Custom House effected seizure the cargo was destuffed and stacked under seal in a warehouse or CFS; that when consignments like red sanders was seized by the DRI, the exporters usually absconded and hence release of containers was occasionally delayed; that delay if any could be brought to the notice of the department.

बिंदु सं. 2 : कर्मियों के लिए शुल्क मुक्त निकासी की अनुज्ञा

#### POINT NO. 2: DUTY FREE ALLOWANCE FOR CREW

सी.एस.ए.ए. : विदाई के समय सीडीसी धारक/कर्मियों के लिए शुल्क मुक्त अनुज्ञा एवं पात्रता के संबंध में सीमाशुल्क का विवरण।

CSAA: Write up by customs on duty free allowance and entitlement of CDC holder/Crew, while signing off.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना सं. 30/2016-कस्टम्स (एन.टी.) दिनांक 01.03.2016 जारी की है और यह पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है; और यह कि कोई भी संबद्ध पक्ष इस अधिसूचना की विषयवस्तु से कर्मियों को अवगत करा सकता है।

The Chair informed that the Govt had issued Notification No.30/2016-Customs(N.T) dated 01.03.2016, in this regard and was available in the Public Domain; that contents of the notification could be brought to the notice of the crew by any of the interested parties.

बिंदु सं. 3: आईसीटीटी में पड़े कंटेनर बंद तटीय कारगो को रिलीज करना

POINT NO. 3: RELEASE OF CONTAINERISED COASTAL CARGO LAYING IN ICTT

सी.एस.ए.ए. : क्या आईसीटीटी में रुके पड़े तटीय कारगो से लदे कंटेनरों को रिलीज करने के लिए कोई उपाय किए जा सकते हैं।

CSAA: Whether any measures could be taken to release containers carrying coastal cargo which was held up in ICTT.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि तटीय कारगो के गमनागमन के बारे में विभाग कुछ भी नहीं कह सकता है। एजेंटों के लिए यही उचित होगा कि वे कंटेनरों को रिलीज करने के लिए आईसीटीटी से संपर्क करें।

The Chair informed that the department had no say in movement of coastal cargo. It would be advisable for the agents to approach the ICTT for release of the containers.

बिंदु सं.4: सेबों को तोलना - भार में अंतर पर जुर्माना

POINT NO.4: WEIGHMENT OF APPLES-PENALTY FOR WEIGHT DIFFERENCE

सी.एस.ए.ए. : यू.एस. और यूरोप से आयात किए गए सेबों के प्रेषित माल में घेषित और वास्तविक भार में अंतर होने की घटनाएं देखी गई हैं; और यह कि विभाग भार की गलत घोषणा के लिए आयातकों पर जुर्माना लगाता है और इसके चलते स्टीमर एजेंसियों के व्यापार में नुकसान उठाना पड़ेगा।

CSAA: Instances of difference in declared weight and actual weight was noticed in consignments of apples imported from the US and Europe; that the department was imposing penalty on the importers for misdeclaration of weight and this would lead to loss of business for the steamer agencies.

श्री डी. पॉल (सहा. आयुक्त) ने सूचित किया कि वास्तविक भार पर शुल्क लगाया जाता है, लेकिन आयातकों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है।

Sri.D.Paul (AC) informed that duty was charged on the actual, however no penalty was imposed on the importers.

अध्यक्ष महोदय ने सहायक आयुक्त की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की और सी.एस.ए.ए. से अनुरोध किया कि इस संबंध में अगर किसी आयातक पर जुर्माना लगाने की घटना हुई हो, तो उसे उनके ध्यान में लाया जाए।

The Chair agreed to the observation of the AC and requested the CSAA to bring to notice instances wherein penalty, if any, was imposed on the importers in this regard.

बिंदु सं.5 : नष्ट करने संबंधी आदेशों पर अमल नहीं किया गया - जगह कम होने के संबंध में

POINT NO.5: ORDERS FOR DESTRUCTION NOT BEING HEEDDED-LOSS OF SPACE REGARDING

श्री राज विनोद ने सूचित किया कि सीमाशुल्क विभाग द्वारा कुछ कारगो को नष्ट किए जाने के आदेश जारी किए जाने के बावजूद, संरक्षक इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है क्योंकि अक्सर आयातक/निर्यातक बकाए के भुगतान के लिए नहीं आता है और इसकी वजह से संरक्षक कारगो को नष्ट नहीं कर पाता है; इसके अलावा दोषी पक्ष अपने अगले प्रेषित माल के लिए अक्सर किसी दूसरे सीएफएस को चुनता है और उनका सुराग लगा पाना कठिन होता है।

Sri.Raj Vinod informed that though Customs department had issued orders for destruction of certain cargo, the custodian could not proceed with the process as most often the importer/exporter did not turn up or pay the dues and hence the cargo could not be destroyed by the custodian; and often the offending parties chose another CFS for their next consignment and hence keeping track of them was difficult.

अध्यक्ष महोदय ने अपना मत व्यक्त किया कि आयातक/निर्यातक से संपर्क बनाए रखना और नष्ट करने की प्रक्रिया लागू करना संरक्षक की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय ने यह सलाह भी दी कि संरक्षक बकाएदारों के बारे में एक दूसरों को सूचित कर सकते हैं, ताकि यदि कोई बकाया हो, तो अगली बार पार्टी द्वारा किसी अन्य संरक्षक से संपर्क करने पर उसे वसूला जा सके।

The Chair opined that it was the custodian's responsibility to liaise with importer/exporter and to proceed with the destruction procedures. The Chair also suggested that the custodians could keep one another informed about the defaulters, so that dues if any, could be collected if the party approached a different custodian the next time

#### बिंदु सं. 6: आईजीएम विभाजित करना

##### POINT NO.6: IGM SPLITTING

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यदि प्रवेश की अनुमति प्रदान करने से पहले कन्सोल आईजीएम/सब आईजीएम दायर किया गया है तो अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है; और जब कन्सोल आईजीएम/ सब आईजीएम प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के बाद दायर किया जाता है तो उस आईजीएम को संशोधन के लिए संबंधित सहायक आयुक्त के ज़रिए भेजना होगा। अध्यक्ष महोदय ने संबंधित सदस्यों से अनुरोध कि कि कठिनाइयों से बचने के लिए कन्सोल आईजीएम को प्रवेश की अनुमति प्रदान करने से पहले दायर करें।

The Chair informed that if Console IGM/Sub IGM was filed before grant of *Entry Inwards*, no approval was required; that when Console IGM/Sub IGM was filed **after** entry inwards was granted then the IGM had to be routed through the concerned Asst. Commr. for amendment. The Chair requested concerned members to file console IGM before granting entry inwards, so as to avoid the difficulties.

#### बिंदु सं.7 : काजू के लिए स्रोत देश प्रमाणपत्र – ऑनलाइन सत्यापन संबंधित

##### POINT NO.7:COUNTRY OF ORIGIN CERTIFICATE FOR CASHEW -ONLINE VERIFICATION REGARDING

काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद की श्रीमती श्री राजमोहन ने तंज़ानिया से कच्चे काजू लाने वाले आयातकों को रही मुश्किलों से अध्यक्ष महोदय को अतगत कराया चूंकि निर्यात करने वाले देश से जारी किया गया "स्रोत देश" प्रमाणपत्र सीमाशुल्क द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता और इसके कारण बोण्ड/बी.जी. के आधार पर माल को रिलीज़ करवाने की वर्तमान प्रक्रिया लागू करनी पड़ती है, जिससे व्यापारियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और यदि यह जारी रहा तो तंज़ानिया से काजू के आयात में कमी आएगी।

Smt. Sree Rajmohan from the Cashew Exports Promotion Council brought to the notice of the Chair the difficulties faced by importers sourcing raw cashew from Tanzania as the "Country Of Origin" certificate issued from the exporting country was not accepted by Customs, resulting in the present procedure of releasing the consignments on execution of Bond/BG, which was affecting the trade badly; that if this continued there would be decrease in the imports of cashew from Tanzania.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि स्रोत देश के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत तंज़ानिया के अधिकारियों की सूची उपलब्ध नहीं है, जिसके बिना यह पता लगाना असंभव है कि जो प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, वे असली हैं या नहीं। इस मामले को पहले ही सीबीईसी के अंतर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क डिवीजन के ध्यान में लाया गया है और उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय को इस संबंध में लिखा है। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि

भार के आयातकों के लिए जल्द और व्यापहारिक रास्ता यह होगा कि वे तंज़ानिया के भारतीय दूतावास के माध्यम से हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची तथा हस्ताक्षर या तो सीधे सीमाशुल्क गृह को या वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से भेजने के लिए तंज़ानिया के निर्यातकों की मदद लें। जब तक इन प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं तथा हस्ताक्षरों की सूची नहीं मिलती और इनको आयातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्रोत देश के प्रामाणपत्र में किए गए हस्ताक्षर से नहीं मिलाया जाता, तब तक विभाग के पास प्रेषित माल को बोण्ड के निष्पादन/बी.जी. के माध्यम से निकासी देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

The Chair informed that the list of officials from Tanzania who are authorized to sign the Country Of Origin certificate are not available, without which it was not possible to determine whether the certificates produced are genuine or not. The matter had already been taken up with the International Customs Division of CBEC, who have written to the Ministry of Commerce. The Chair suggested that a faster and more practical approach would be for the importers in India to seek assistance from exporters in Tanzania to ask the Tanzanian Govt to forward the list of signatories and signatures through the Indian embassy in Tanzania, either directly to the Custom House or through the Commerce Ministry. Till such list of authorized signatories and their signatures was available and they tallied with the signatures in the Country of Origin certificate submitted by the importers, the department did not have any other alternative but to clear the consignments on execution of Bond/BG.

#### बिंदु सं. 8: साथ न ले जाए गए बैगेज की निकासी संख्या बढ़ाना

#### POINT NO. 8: INCREASING NUMBER OF UNACCOMPANIED BAGGAGE CLEARANCE

सी.सी.ए.ए.ए.: दिन में सिर्फ 15-20 बैगेजों की निकासी होने से सीएफएस (सीपीटी) पर बैगेज का ढेर लगा रहता है। रोज कम से कम 30 बैगेजों की निकासी की जाए।

CCHAA: There was congestion at CFS (CPT) as only 15-20 baggages was cleared per day. A minimum of 30 baggages may be cleared daily.

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि साथ न ले जाए गए बैगेज की जांच के मानदंड आयातित माल की जांच के मानदंडों से बहुत अलग हैं, आयातित माल में सिर्फ कुछ प्रतिशत जांच की जरूरत होती है; और यह कि बैगेजों की 100% जांच करनी होती है और इसलिए और अधिक बैगेजों की निकासी करने के निदेश देना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे 100% जांच किए बिना बैगेजों की निकासी की जा सकती है; और ऐसे प्रतिकूल हालातों में भी अधिकारी बेहतरीन कोशिश करते हैं और हर दिन अधिकतम संभव बैगेजों की निकासी करते हैं।

The Chair informed the members that the examination norms of unaccompanied baggage was different from that of an import consignment which required only a certain percentage of examination; that baggages had to be subjected to 100% examination and hence it would not be fair to issue directions to clear more baggages as that could lead to baggages being cleared without 100% examination; that further as evident from the reports of SIIB, and the Baggage Unit, constant vigil is required to ensure that non-bonafide baggage do not get cleared availing benefit due for bonafide baggage; that even in these adverse conditions the officers were putting in the best efforts and clearing maximum baggages possible in a day.

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह के वेबसाइट [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in) पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) या [ccucochin@gmail.com](mailto:ccucochin@gmail.com) के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in). Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) or [ccucochin@gmail.com](mailto:ccucochin@gmail.com)

(**डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN**)  
**आयुक्त COMMISSIONER**

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II

तारीख Dated: 09.05.2016

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone,  
Cochin.

The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs

All members